

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2080) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/23/907

दिनांक 20.09.2023

-:: प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश ::-

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के स्वीकृति पत्रांक:एफ.8(06)आ.प्र. एवं सहा./बाढ/प्रस्ताव/2023/2384-92 दिनांक 01.08.2023 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या- 22/2023-24 के अनुक्रम मे सा.नि.वि. खण्ड आमेट, तहसील व ब्लॉक कुम्भलगढ के 20 कार्य हेतु राशि रु. 15.00 लाख, सा.नि.वि. खण्ड भीम, तहसील व ब्लॉक भीम के 11 कार्य हेतु राशि रु. 16.80 लाख, सा.नि.वि. खण्ड भीम, तहसील व ब्लॉक देवगढ के 13 कार्य हेतु राशि रु. 7.80 लाख, सा.नि.वि. खण्ड राजसमन्द, तहसील व ब्लॉक राजसमन्द के 06 कार्य हेतु राशि रु. 3.60 लाख, सा.नि.वि. खण्ड राजसमन्द तहसील व ब्लॉक रेलमगरा के 01 कार्य हेतु राशि रु. 0.60 लाख कुल 51 पुलियां कार्य हेतु राशि रु. 43.80 लाख (अक्षरे रुपये तैतालीस लाख अस्सी हजार मात्र) की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलियां की तात्कालिक मरम्मत करवाने हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस0डी0आर0एफ0) से स्वीकृति प्राप्त होने से कार्यकारी विभाग से प्राप्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है।

सभी स्वीकृत कार्य कार्यकारी संस्था/विभाग द्वारा करवाये जावेंगे। कार्य को कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त आदेशों/निर्देशों एवं निम्नांकित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावें।

कार्यकारी विभाग- अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड आमेट (ब्लॉक - कुम्भलगढ)

क्र. स.	तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य का नाम	(SDRF) मापदण्डों अनुसार मरम्मत हेतु राशि (लाखों में)	तकनीकी स्वीकृति संख्या	तकनीकी स्वीकृति के आधार पर तत्काल मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि
1	भोप जी की भागल से गढबोर बोरी सडक (1 पुलिया गोमती नदी)	0.75	EE/TS/137/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
2	एस.एच 16 से डूंगर जी का गुडा (1 पुलिया गोमती नदी)	0.75	EE/TS/138/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
3	नीमडी से साथिया (1 पुलिया गोमती नदी)	0.75	EE/TS/139/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
4	गढबोर बोरी वाया साथिया सडक (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/140/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
5	राम दरबार से धनायका वाया कसार (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/141/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
6	पीपलिया की भागल (1 पुलिया) से सरस का गुडा	0.75	EE/TS/142/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
7	लौर से सरस का गुडा सडक (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/143/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
8	सम्पर्क सडक ढोढीवास (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/144/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
9	सम्पर्क सडक टाडावाडा गुजरान (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/145/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
10	एन.एच 8 से जवारिया वाया धानीन (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/146/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
11	सम्पर्क सडक झीलवाडा (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/147/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
12	सम्पर्क सडक हटटा जी का गुडा (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/148/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
13	सम्पर्क सडक थोरिया वास (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/149/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
14	सम्पर्क सडक हेलीपेड झीलवाडा (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/150/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75

15	साथिया से थोरिया भागल (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/151/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
16	हापेला चौराया से मेरडा खालसा वाया गिटोरिया (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/152/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
17	रिछेड अण्टालिया रोड से सुखार (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/153/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
18	लौर से सरस का गुडा (1पुलिया)	0.75	EE/TS/154/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
19	खेडा सेवन्त्री से रामदरबार वाया थोरिया भागल (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/155/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
20	गिटोरिया से जवारिया (1 पुलिया)	0.75	EE/TS/156/2023-24 Dt.04.08.2023	0.75
	योग ब्लॉक कुम्भलगढ	15.00		15.00
कार्यकारी विभाग- सा.नि.वि. खण्ड भीम (तहसील व ब्लॉक - भीम)				
1	NH-8 नन्दावट कॉलेज से सारोठ, हीरा का बाड़िया, शेखावास रतनपुर रोड किमी 0/0 से 56/0 (5 सी. डी. वर्क्स)	3.00	EE/TS/146/2023-24 Dt.11.08.2023	3.00
2	ए/आर से बिलियावास	0.60	EE/TS/147/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
3	NH-8 बली से बंदरघाटी आडावाला(4सी.डी. वर्क्स)	2.40	EE/TS/148/2023-24 Dt.11.08.2023	2.40
4	ओडीआर-12 (मियाला खेत चौराहा) से लालपुरा रोड. वाया मियाला खेत, दर्दा (4 सी.डी. वर्क्स)	2.40	EE/TS/149/2023-24 Dt.11.08.2023	2.40
5	ओ.डी.आर किसी. 4/0 जेलवा सराय से जेलवा गांव	0.60	EE/TS/150/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
6	NH-8 बली से रावत का खेरा, कुंडिया (2सी.डी.)	1.20	EE/TS/151/2023-24 Dt.11.08.2023	1.20
7	बदनोर रोड से पारला रोड	0.60	EE/TS/152/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
8	NH-8 बग्गड़ से ढाक का चौरा(2 सी.डी वर्क्स)	1.20	EE/TS/153/2023-24 Dt.11.08.2023	1.20
9	जयनगर से आस पाहाड का चौरा(3सी.डी.वर्क्स)	1.80	EE/TS/154/2023-24 Dt.11.08.2023	1.80
10	दिवेर - कोट सडक किमी 0 / 0 से 10/ 0 (दिवेर से सातपालिया जिला सीमा तक)	2.40	EE/TS/155/2023-24 Dt.11.08.2023	2.40
11	टिकर दिवेर सडक	0.60	EE/TS/156/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
	योग ब्लॉक भीम	16.80		16.80
कार्यकारी विभाग- सा.नि.वि. खण्ड भीम (तहसील व ब्लॉक - देवगढ)				
1	देवगढ से एन.एच 8 वाया कुंडेली बरातो का बाडिया सडक	0.60	EE/TS/157/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
2	देवगढ से किशनपुरा	0.60	EE/TS/158/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
3	एस एच -56 से भूडवास	0.60	EE/TS/159/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
4	देवगढ से सामरनाका वाया बीड देवगढ	0.60	EE/TS/160/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
5	देवगढ से सामरनाका वाया बीड देवगढ	0.60	EE/TS/161/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60

6	देवगढ से सामरनाका वाया बीड देवगढ	0.60	EE/TS/162/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
7	सम्पर्क सडक कालेसरिया	0.60	EE/TS/163/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
8	नराणा से भूरवाडा	0.60	EE/TS/164/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
9	देवगढ से मांडावाडा	0.60	EE/TS/165/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
10	टिकर दिवेर सडक से गुनिया	0.60	EE/TS/166/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
11	दिवरे से उमराज	0.60	EE/TS/167/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
12	चूंदी से टोकरा सडक	0.60	EE/TS/168/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
13	टेगी से टोकरा सडक	0.60	EE/TS/169/2023-24 Dt.11.08.2023	0.60
	योग ब्लॉक देवगढ	7.80		7.80
कार्यकारी विभाग सा.नि.वि. खण्ड राजसमन्द (तहसील व ब्लॉक — राजसमंद)				
1	पसुन्द मादडी वाया तासोल	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 133/2023-24	0.60
2	बामन टुकड़ा से नया मण्ड रोड	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 134/2023-24	0.60
3	सम्पर्क सडक नोगामा से नमाना	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 138/2023-24	0.60
4	एन एच 8 से करिंग जी का खेड़ा	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 135/2023-24	0.60
5	पड़ासली से धमावटो की रेहट	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 136/2023-24	0.60
6	दुर्गाकुण्ड से बामनटूकड़ा मेरडा खालसा रोड	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 137/2023-24	0.60
	योग ब्लॉक राजसमंद	3.60		3.60
कार्यकारी विभाग सा.नि.वि. खण्ड राजसमन्द (तहसील व ब्लॉक — रेलमगरा)				
1	काबरा से जाश्मा	0.60	EE Dn. Rajsamand Tech. S.No. 50/2023-24	0.60
	योग ब्लॉक रेलमगरा	0.60		0.60
	कुल योग (ब्लॉक कुम्भलगढ़, भीम, देवगढ़, राजसमन्द व रेलमगरा)	43.80		43.80

(कुल योग अक्षरे रुपये तैतालीस लाख अस्सी हजार मात्र)

नोट – कार्यकारी विभाग द्वारा निम्नांकित निर्देशों/शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

01. विभाग द्वारा प्रति पुलियां की दर से राशि का निर्धारण एस0डी0आर0एफ0 नॉर्म्स अनुसार किया गया है, अतः सा0नि0 विभाग उन दरों से अधिक राशि का उपयोग पुलियां की मरम्मत पर नहीं करे।
02. प्रस्ताव में उन्ही पुलियां की मरम्मत करवायी जावें जो अस्थाई मरम्मत द्वारा ठीक करायी जा सकती है।
03. वे पुलियां जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी कीमत एस.डी.आर.एफ. से देय नहीं है। जिन कार्यों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु ठेकेदार या अन्य संस्था, एजेन्सी, प्राधिकारी उत्तरदायी है, उन कार्यों पर यह राशि व्यय नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
04. कार्यकारी विभाग/सार्वजनिक निर्माण विभाग यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।
05. कार्यकारी एजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एस.डी.आर.एफ. में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
06. कार्यकारी विभाग स्वीकृत कार्यों की अविलम्ब निविदा कर कार्य प्रारंभ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके तथा कार्य पूर्ण होने के 15 दिवस में उपखण्ड स्तरीय समिति से कार्य का प्रमाणीकरण एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र व बिल दो प्रतियों में प्रमाणीकरण के पश्चात अनिवार्यतः भिजवाये जावे। बिल में विलम्ब होने पर भुगतान कार्यकारी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा।
07. कार्यकारी संस्था, उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, व सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ, ग्रामीण कार्य निर्देशित के दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करे एवं आपदा प्रबन्धन सहायता एवं ना.सु विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश एवं परिपत्रों के अनुसार कार्य किया जावे।
08. क्षतिग्रस्त पुलियां की मरम्मत हेतु किसी अन्य राज्य मद से स्वीकृति/बजट प्राप्त हुआ है तो उक्त पुलियां की मरम्मत एस.डी.आर.एफ. से आवंटित बजट से नहीं की जावे।
09. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवे कि कार्य एस.डी.आर.एफ. मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्तावों में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावे कि क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। स्वीकृत कार्यों के निरीक्षण/मूल्यांकन के निर्देशों के अनुरूप पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करे। कार्य प्रारम्भ से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि कार्य एवं व्यय सरकारी रीति-नीति अन्तर्गत व्यापक जनहित में है।
12. उक्त मरम्मत कार्य का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्न बजट मद से किया जायेगा—
2245 – प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02 – बाढ़, चक्रवात आदि
106 – खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(08) – (बाढ़ क्षेत्र में खराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना)
[01] – [सड़कों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना]
21— अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेंस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत व राज्य निधि 25 प्रतिशत)


जिला कलेक्टर
(आ0प्र0 सहा. एवं ना0सु0 विभाग)
राजसमन्द

क्रमांक: प.14(2080) बाढ/अतिवृष्टि/स्वी./सहा0/23/908-923

दिनांक: 20.09.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

01. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर ।
02. मुख्य लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करवाने का श्रम करावे।
03. जिला कोषाधिकारी, राजसमन्द
04. उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़/भीम/देवगढ़/राजसमन्द/रेलमगरा।
05. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त राजसमन्द
06. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड आमेट/भीम/राजसमन्द।
07. तहसीलदार, कुम्भलगढ़/भीम/देवगढ़/राजसमन्द/रेलमगरा।
08. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुम्भलगढ़/भीम/देवगढ़/राजसमन्द/रेलमगरा।
09. सहायक अभियन्ता, सा. निर्माण विभाग, उपखण्ड कुम्भलगढ़/भीम/देवगढ़/राजसमन्द/रेलमगरा।
10. सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता, जल संसाधन विभागकुम्भलगढ़/भीम/देवगढ़/राजसमन्द/रेलमगरा।
11. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, राजसमन्द


जिला कलक्टर
(आ0प्र0 सहा.एवं ना0सु0 विभाग)
राजसमन्द